न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 145/2004/223 आर टी ए

1. सुनीलकुमार पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बिरमा देवी पत्नि शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ हाल निरवाणा तहसील सूरतगढ़।
2. बिरमादेवी पत्नि शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ हाल निरवाणा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांटस

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
2. हरचन्द पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी जोरावरपुरा तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
4. ब्रांच मैनेजर औरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा मैनावाली तहसील हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.04 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्रकरण संख्या 94/2003 अनवानी सुनीलकुमार बनाम शंकरलाल

उपस्थित :–

श्री औमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलाण्टा

श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–25.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश कर विवादित भूमि जद्दी जायदाद भूमि है जिसमे रेस्पो. सं. 1 शंकरलाल के नाम दर्ज समस्त भूमि मे अपीलांट 2/3 हिस्सा की अधिकारी व खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ भूमि मे अपीलांट को खातेदार घोषित किया है तथा कुछ मे नही किया गया जो निर्णय विसंगत पारित किया गया है। अपीलांट समस्त भूमि मे अधिकारी है। उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 5 एमडब्ल्यूएम बी के खाता सं. 70/67 जमाबंदी सम्वत 2055 से 58 मे दर्ज शंकरलाल के हिस्सा की भूमि ओबीसी शाखा मैनावाली के रहन होने के कारण अपीलांटस का दावा अधीनस्थ न्यायालय ने उस खाता की हद तक खारिज कर दिया है जो गलत व विधि विरूद्ध है। अगर न्यायालय बैंक को आवश्यक पक्षकार मानता है तो बैंक को दावा पक्षकार बनाने का आदेश पारित कर सकता था। आवश्यक पक्षकार को न्यायालय स्वयं ही पक्षकार बना सकती है।

बैंक आवश्यक पक्षकार नही है विवादित भूमि मे बैंक का कोई अधिकार नही है बैंक ने भूमि रहन रख कर शंकरलाल को ऋण दे दिया है इस आधार पर वादीगण का दावा खारिज नही किया जा सकता है। फिर भी अपीलांट अपील मे बैंक को पक्षकार रहे है बैंक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वादीगण अपीलांट का दावा समस्त भूमि का डिक्री किया जावें। चक 5 एमडब्ल्यूएम बी के खाता सं. 25/4/32 जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 मे दर्ज भूमि शंकरलाल के चाचा गोपी के नाम दर्ज से थी। गोपी कुंवारा ही था शंकरलाल बचपन से उसके पास रहता था और गोपी की सेवा करता था इसलिए गोपी ने अपनी भूमि की वसीयत शंकरलाल के पक्ष मे करवा दी थी जिसका इंतकाल शंकरलाल के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त भूमि जद्दी जायदाद भूमि की परिभाषा मे आती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि बाबत वादीगण का दावा खारिज करके कानूनी भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे हिन्दू लॉ मूला 315 पेज 403, आरआरटी 2008(2) पेज 879, आरआरडी 1990 पेज 238 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे संशोधन किया जाकर चक 5 एमडब्ल्यूएम बी खाता सं. 70/67 जमाबंदी सम्वत 2055 से 58 मे दर्ज भूमि 1.899 है0 मे तथा चक 5 एमडब्ल्यूएम बी के खाता सं. 25/4/32 जमाबंदी सम्वत 2055 से 58 मे शंकरलाल के नाम भूमि 2.037 है0 भूमि मे अपीलांट वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट सं. 1 सुनीलकुमार को रेस्पो0 सं. 1 का पुत्र होने का कथन करते हुए घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया परन्तु अपीलांट सं. 1 सुनीलकुमार रेस्पो0 सं0 1 का पुत्र नही है। इसलिए रेस्पो0 सं. 1 की भूमि मे सुनीलकुमार का कोई हित नही है। अपीलांट सं. 2 बिरमादेवी ने रेस्पो0 सं. 1 की पत्नि होने के आधार पर रेस्पो0 की भूमि मे 1/3 हिस्सा की घोषणा चाही है व अधीनस्थ न्यायालय ने वाद आंशिक रूप से डिक्री करके वाद मे वर्णित भूमि चक 15 आरपी व चक 4 एमडब्ल्यूएम ए मे रेस्पो0 के हिस्सा की भूमि मे से अपीलांट सं. 2 को 1/3 हिस्सा की हकदार घोषित किया है जबकि अपीलांट सं. 2 का उक्त भूमि मे कोई हित नही है व किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नही है। अपीलांट सं. 2 कभी भी बतौर पत्नि रेस्पो0 सं. 1 के साथ नही रही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे वर्णित समस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 की स्वयं पैदा करदार भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जद्दी जायदाद के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया था व न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 को जवाबदेही व साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो कि अपीलांट सं. 1 के पिता व अपीलांट सं. 2 के पति शंकरलाल के नाम से चक 15 आरपी, चक 4 एमडब्ल्यूएम ए व चक 5 एमडब्ल्यूएम बी मे दर्ज है, मे 2/3 हिस्सा की घोषणा व खाता तकसीम बाबत दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 5 एमडब्ल्यूएम बी की भूमि जो शंकरलाल के नाम दर्ज है, ओबीसी बैंक शाखा मैनावाली के रहन होने व ओबीसी बैंक शाखा मैनावाली को वाद मे पक्षकार नही होने के कारण उक्त चक की भूमि की घोषणा न करते हुए चक 15 आरपी व चक 4 एमडब्ल्यूएम ए की भूमि मे 2/3 हिस्सा वादीगण/अपीलांट खातेदार काश्तकार घोषित किया गया व 1/3 हिस्सा भूमि का शंकरलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री करते हुए विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार का लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 15 आरपी व चक 4 एमडब्ल्यू ए व चक 5 एमडब्ल्यूएम बी की वादग्रस्त भूमि के संबंध मे वाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 5 एमडब्ल्यूएम बी की भूमि बैंक रहन होने व बैंक को पक्षकार नही बनाने के कारण उक्त भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि के संबंध मे वादपत्र डिक्री किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि जो बैंक मे रहन है और बैंक को पक्षकार नही बनाया गया है तो बैंक को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री चक 5 एमडब्ल्यूएम बी की हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2004 को चक 5 एमडब्ल्यूएम बी की हद तक अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पो0 सं. 3 बैंक को पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ